



2026:AHC:48104

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी याचिका सं - 556 / 2026

पांचू राम

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राम कृष्णा यादव, शिव चंद यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय क्रमांक - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. तत्काल रिट याचिका, अंतर्वस्तु के रूप में, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"न्यायालय परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करे, जो प्रतिवादी सं. 2

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को आदेश एवं निर्देश दे कि वह मामला सं. 41/2025 (पांचू राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) धारा 48(3) के अंतर्गत, न्यायालय अपर निदेशक चकबंदी, बस्ती के समक्ष, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित अवधि के भीतर निर्णीत करे।"

3. राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले को शीघ्र निर्णीत करने का निर्देश जारी किया जाता है।

4. इस उपरोक्त परिदृश्य में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करना उचित समझता है, रिट याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रतिवादी सं.2 को यह निर्देश देते हुए कि वह उपरोक्त मामले का निर्णय कड़ाई से कानून के अनुसार, एक तर्कसंगत एवं सविस्तार आदेश के माध्यम से, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्षकार को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना, शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर करे।

5. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

10 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”